झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक अपील (खण्डपीठ) संख्या 940/2015

(विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद के द्वारा सत्र विचारण संख्या 96/2013 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 25.07.2015 के खिलाफ)।

.....-

सत्य चरण बास्की, पिता स्वर्गीय आनंद बास्की, निवासी बाराबंदिया डाकघर एवं थाना निरसा, जिला-धनबाद। ... ... अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ... ... उत्तरदाता

अपीलकर्ता के लिए : श्री अरविन्द कुमार, एडवोकेट
उत्तरदाता राज्य के लिए: श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पीपी

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

31.01.2024 को सीएवी **21/02/2024 को सुनाया गया**

प्रति सुजीत नारायण प्रसाद, जे.

1. सत्र विचारण संख्या 96/2013 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 25.07.2015 के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के सह पठित 389 (1) के तहत तत्काल अपील को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया है और दोषी ठहराया गया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई करने पर, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आगे साधारण कारावास छह महीने के लिए।

2. अभियोजन मामला जनेश्वर हेम्ब्रम नामक सूचक के फर्द बयान के

आधार पर दर्ज किया गया है ,

इसमें आरोप लगाया गया है कि 13/14.11.2012 की मध्यरात्रि को सूचक घर में सो रहा था जब वह अपनी बहन,के शोर को सुना, जो दूसरे कमरे मेंअपने पति सत्यचरन वासुकी (अभियुक्त/अपीलकर्ता), वर्तमान अभियुक्तके साथ सो रही थी, सूचक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जब वहां पहुंचा तो उसने अपनी बहन पार्वती बास्की को खून से लथपथ पाया और अभियुक्त सत्य चरण बास्की खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर वहां खड़ा था। अभियुक्त को काबू में लिया गया। जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अनचाहे घंटों में प्रकृति की पुकार को पूरा करने के बहाने घर से बाहर जाती थी। उसे शक था कि महिला का किसी और के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी पार्वती बासकी की हत्या की है।

3. उक्त फर्द बयान के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत निरसा थानाकांड 313/2012 दिनांक 14.11.2012 अभियुक्त सत्य चरण बास्की के खिलाफ दर्ज किया गया।

4. अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने इस घटना को सही पाया और दिनांक 28-01-2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

5. कथित अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला 31-01-2013 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

6. दिनांक 23032013 को अभियुक्त सत्य चरण बास्की के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया

जिसके लिए उसने दोषी न होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

7. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से परीक्षण कराया है, जिनके नाम है, साकोडी को अभियोजन साक्षी 1, नुनु लाल हेम्ब्रम को अभियोजन साक्षी 2, जनेश्वर हेम्ब्रम (मृतक के भाई और सूचक के भाई) को अभियोजन साक्षी 3, डॉ स्वप्न कुमार सराक को अभियोजन साक्षी 4, श्रीमती हेम्ब्रम को अभियोजन साक्षी 5, सुकलाल हेम्ब्रम को अभियोजन साक्षी 6, उमेश हेम्ब्रम को अभियोजन साक्षी 7, लगन हेम्ब्रम को अभियोजन साक्षी 8 ,शीबा हेम्ब्रम को अभियोजन साक्षी 9, दिलीप कोल को अभियोजन साक्षी 10 और बिनोद कुमार को अभियोजन साक्षी 11 के रूप में

8. अभियोजन नुनूलाल हेम्ब्रम के हस्ताक्षर को फर्दबयान और पंचनामा (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट) (कार्बन कॉपी) को प्रदर्श 1 और 2, फर्दबयान को प्रदर्श 3, पंचनामा पर जनेश्वर हेम्ब्रम के हस्ताक्षर को प्रदर्श 2/1, जब्ती सूची को प्रदर्श 4, जब्ती सूची पर जनेश्वर हेम्ब्रम के हस्ताक्षर को प्रदर्श 4/1, अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन को प्रदर्श 5 , मृतक का पूर्ण पंचनामा को प्रदर्श 6 और औपचारिक प्राथमिकी पर अभियोजन साक्षी 11 के हस्ताक्षर को प्रदर्श 7 के रूप में साबित किया है

9. अभियुक्त का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था जिसमें उसने अपने खिलाफ सबूतों से इनकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

10. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित पाया।

11. तदनुसार, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है, इस लिए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 25-07-2015 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अरविन्द कुमार ने दोषसिद्धि के आक्षेपित आदेश का विरोध करने में निम्नलिखित आधार लिए हैं: -

1. जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कथित अपराध करने में किया गया है, उसे वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न किया है।
3. इस आशय के सुझाव पर विचार नहीं किया गया है कि भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी है और केवल अपनी जान बचाने के लिए उसने अपीलकर्ता को फंसाया है जो उसका बहनोई है।
4. पूरा मामला लास्ट सीन की थ्योरी(अंतिम देखने का सिद्धांत) पर आधारित है लेकिन श्रृंखला पूरी नहीं हो रही है और इसलिए, कानून की नजर में दोषसिद्धि का निर्णय टिकाऊ नहीं है।
5. महत्वपूर्ण गवाह, अर्थात, बेटे से पूछताछ नहीं की गई है, जो अभियोजन पक्ष के विवरण के अनुसार, माता और पिता (अपीलकर्ता) के साथ था और इसलिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है क्योंकि बेटा जो कमरे में माता और पिता के साथ था, अपराध के घटित होने के बारे में खुलासा करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था।

6. अभियोजन पक्ष के विवरण के अनुसार मकसद ठोस नहीं है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इन आधारों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि के फैसले को रद्द करके और खारिच करके तत्काल अपील की अनुमति दी जा सकती है।

8. इसके विपरीत, *प्रतिवादी* राज्य की ओर से पेश विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री विनीत कुमार वशिष्ठ ने निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय का बचाव किया है: -

a. कुल्हाड़ी को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में न भेजने या कुल्हाड़ी पर अंगुली निशान(फिंगर प्रिंट)नहीं लेने से अभियोजन पक्ष का कथन खराब नहीं होगा क्योंकि यह मामला चश्मदीद गवाहों की गवाही पर आधारित है।

b. अपीलकर्ता की ओर से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह अपनी पत्नी के साथ कमरे में नहीं था और इसलिए, आरोप को खारिज करने की जिम्मेदारी उस पर है, क्योंकि वह पत्नी और बेटे के साथ कमरे में पाया गया था और कमरे के अंदर कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।

c. श्रृंखला के पूरा होने का प्रश्न केवल तभी लागू होगा जब मामला अंतिम बार देखे गए या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत पर आधारित हो, लेकिन यदि पूरे साक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा, तो मामला अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 की गवाही पर आधारित है और उन सभी ने अपीलकर्ता को कुल्हाड़ी के साथ कमरे से

भागते हुए देखा है और

जब वे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि मृतक खून से लथपथ पड़ा था।

a. विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार किया है कि मामला गवाहों की ठोस साक्ष्य गवाही पर आधारित है और इस तरह, यह सारहीन और अप्रासंगिक है, जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि उक्त कुल्हाड़ी को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जांच के लिए नहीं भेजा गया है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है।

b. अपीलकर्ता की ओर से जो तर्क दिए गए हैं, उनमें एक यह की कथित अपराध केसमय घटित होने समय कमरे में अंदर मौजूद बेटे का परीक्षण नहीं कराना पूर्वाग्रह उत्पन्न कर दिया है, भी अभियोजन कथन को दूषित नहीं करेगा क्योंकि अभियोजन साक्षी -1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 द्वारा वर्णित परिस्थितियों में मृतक के बेटे की चीख सुनने पर, जो अभियोजन साक्षी -1 और अभियोजन साक्षी -2 का पोता है, जब उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी और उसकी पत्नी, मृतक, खून से लथपथ थी और मृत पाई गई।

c. अपीलकर्ता द्वारा इस आशय का सुझाव दिया गया है कि

यह अभियोजन साक्षी -3 है जिसने मृतक की हत्या की है इस कारण की पत्नी और पति मृतक और अपील कर्ता के बीच नियमित रूप से झगड़ा होता था जिस वजह से अभियोजन साक्षी -3 बहनोई के साथ मारपीट किया था, इस पर विचार नहीं किया गया है

लेकिन इसके जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सुझाव पूरी तरह से अप्रासंगिक है क्योंकि यह बचाव का मामला नहीं है कि अभियोजन साक्षी -3 कभी कमरे के अंदर था क्योंकि कोई सवाल नहीं रखा गया है उस प्रभाव के लिए अभियोजन साक्षी -3 या अभियोजन साक्षी -2 या अभियोजन साक्षी -1 तक। इस प्रकार, इस आशय का सुझाव कि अभियोजन साक्षी -3 जिसने मृतक को मार डाला है और केवल बचाव करने के लिए ताकि उसकी रक्षा की जा सके, अपीलकर्ता को तत्काल मामले में झूठा फंसाया गया है, बिना किसी आधार के है।

(१) जहां तक प्रकाश की अनुपलब्धता और उस कारण से पहचान की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से आधार लिया गया है, महत्वहीन है क्योंकि अपीलकर्ता घुसपैठिया नहीं था, बल्कि, वह दामाद था और हर कोई उसे जानता था, इसलिए, प्रकाश की अनुपलब्धता पूरे अभियोजन पक्ष के बयान को दूषित नहीं करेगी।

(२) जहां तक मकसद ठोस नहीं होने का संबंध है, यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि अभियोजन पक्ष का पूरा बयान खराब हो

जाएगा, बल्कि, मकसद है अगर अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 की गवाही पर

एक साथ विचार किया जाए। इस प्रकार, अपीलकर्ता की ओर से यह कहना गलत है कि कोई मकसद नहीं है।

13. राज्य उत्तरदाता के विद्वान वकील ने पूर्वोक्त आधारों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है, आक्षेपित निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार किया है, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के साथ-साथ निचली अदालत के दस्तावेज में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों पर भी गौर किया है।

15. इस न्यायालय को निम्नलिखित विवाद्यक का उत्तर देना आवश्यक है: -

(१) क्या अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित कहा जा सकता है?

(२) क्या गवाहों की गवाही के आधार पर इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला कहा जा सकता है या यह चश्मदीद गवाहों की गवाही पर आधारित है?

16. दोनों विवाद्यक एक दूसरे से जुडे हुए हैं इस लिए उन पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इसके बाद उनका उत्तर दिया जा रहा है। लेकिन पूर्वोक्त मुद्दों पर विचार करने से पहले, गवाहों की गवाही को यहां संदर्भित किया जाना आवश्यक है जो इसके तहत पढ़ता है: -

<u>अभियोजन साक्षी</u>**<u>-1 सकोडी</u>** मृतक की मां है। उसने गवाही दी है कि

लगभग एक साल पहले काली पूजा के दिन

आधी रात के करीब 12.00 बजे वह अपने घर में सो रही थी जब उसने पोते और बेटी के रोने की आवाज को सुना, जो अभियुक्त के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब वह वहां पहुंची, तो उसने पार्वती बास्की (मृतक) को सिर पर चोट के निशान के साथ जमीन पर पड़ा पाया और आरोपी सत्य चरण बास्की कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा था। उसने अपने बेटे और बहू की मदद से अभियुक्त को पकड़ लिया। उसने आगे कहा है कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।

अपनी जिरह में वादी साक्षी 1 ने कहा है कि उसने हमले की वास्तविक घटना नहीं देखी है, लेकिन जब मृतक के बेटे ने पुकार उठाया तो उसे घटना के बारे में पता चला। आगे उसने गवाही दी कि घर में कोई दीपक नहीं जल रहा था।

वादी साक्षी **-2** **नुनु लाल हेम्ब्रम** मृतक के पिता हैं। उसने गवाही दी है कि लगभग एक साल पहले काली पूजा के दिन लगभग 01.00 बजे मध्य रात्रि, वह अपने घर पर था जब उसने बेटी के रोने की आवाज को सुना, जो अभियुक्त के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पार्वती बास्की के सिर पर चोट के निशान थे। उन्होंने देखा कि अभियुक्त सत्य चरण बास्की कुल्हाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। उसने आगे गवाही दी है कि उसने अभियुक्त को अपनी पत्नी, बेटे और बहू की मदद से पकड़ा। उन्होंने आगे कहा है कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।

अभियोजन साक्षी -2 ने आगे गवाही दी है कि पुलिस को सूचित किया गया था और उनके बेटे जनेश्वर हेम्ब्रम के फर्द बयान पर यह मामला शुरू किया गया था। उन्होंने हस्ताक्षर की पहचान की है

उन्होंने पंचनामा(इनक्वेस्ट रिपोर्ट) पर हस्ताक्षर किए हैं और हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

अभियोजन साक्षी -2 ने अपनी जिरह में कहा है कि उसने अभियुक्त द्वारा मेरी बेटी पर किए गए वास्तविक हमले को नहीं देखा है।

अभियोजन साक्षी **-3 जनेश्वर हेम्ब्रम** सूचक है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और कहा है कि यह घटना वर्ष 2012 के 13 वें दिन काली पूजा के समय हुई थी। वह अपने घर में मौजूद था। अभियुक्त ने अपनी बहन पार्वती बास्की पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। मृतक के शोर मचाने पर वह उनके कमरे में गया तो देखा कि आरोपी कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा था और मृतक जमीन पर घायल पड़ा था। उन्होंने आगे गवाही दी कि अभियुक्त को अपनी मां की मदद से कुल्हाड़ी लिए हुए पकड़े और उक्त कुल्हाड़ी में खून के धब्बे थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि अभियुक्त को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। उन्होंने फर्द बयान पर हस्ताक्षर की पहचान की है जो प्रदर्श 3 है। उन्होंने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जो प्रदर्श2/1 है। उन्होंने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर और अन्य गवाहों की भी पहचान की है जो कि प्रदर्श 4 श्रृंखला है।

अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसने अभियुक्त को वास्तव में मृतक के साथ मारपीट करते नहीं देखा था और उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने मृतक की हत्या की है और अभियुक्त को झूठा फंसाया है। उन्होंने आगे गवाही दी है कि

उसने उक्त कुल्हाड़ी उप-निरीक्षक को सौंप दी थी और पुलिस द्वारा उसे जब्त कर लिया गया है और जब्ती सूची तैयार की गई थी जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था।

अभियोजन साक्षी**-4 डॉ. स्वप्न कुमार सारा** ने मृतक का पोस्टमार्टम किया और उसमें निम्नलिखित बाहरी चोटें पाई गईं: -

१.चीरा हुआ घाव:

(a)3 "x 1/4" x हड्डी तक गहरी नाक के पुल पर उज्ज्वल जाइगोमा तक

(b)2" x1/2" x हड्डी तक गहरी दायें टेम्पोरल क्षेत्र पर तिरछी।

(c) 4 " x 1/2 "x हड्डी तक गहरी दाएं जाइगोमा से कर्ण तक

(d) 2"x1/2" x हड्डी तक गहरी जबड़े के दाएँ कोण पर

(e) 3"x1/4" x हड्डी तक गहरी बाईं हथेली पर तिरछी है। (रक्षा घाव)।

(f) 3"x1/4" x हड्डी तक गहरी बाएं हाथ के पहले मेटाकार्पोलके हथेली पर (रक्षा घाव)

उपरोक्त सभी घाव अच्छी तरह से परिभाषित साफ कटसमान और चोट और अनियमित स्थानों पर पाए गए।

२. सिर के बाएं ललाट क्षेत्र पर चोट के साथ सूजन।

उन्होंने आगे कहा है कि विच्छेदन पर: -

सिर के ललाट और दायें टेम्पोरल क्षेत्र पर खोपड़ी के निचे रक्त के थक्के के साथ अक्चिमोसिस पाया गया, बाहरी चोटों के ठीक नीचे साफ और अनियमित फ्रैक्चर के साथ । मस्तिष्क के ललाट भाग पर मेनिन्जेस पाए गये । भरा हुआ और खाली छोड़ दिया गया । पेट में 200 सीसी आंशिक रूप से पचा हुआ चावल और पेस्टी भोजन था । मूत्राशय और गर्भाशय खाली पाए गये ।

और अन्य सभी आतंरिकअंग पीले पाए गए।

इस गवाह के अनुसार, उपर्युक्त चोटों के परिणामस्वरूप मौत सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी। उन्होंने पोस्टमार्टम (अन्त्यपरीक्षण) रिपोर्ट को प्रदर्श 3 साबित किया है।

अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि चोट कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी के कारण हो सकती है।

अभियोजन साक्षी -5 श्रीमती हेम्ब्रम और **अभियोजन साक्षी-6 सुकलाल हेम्ब्रम** दोनों ने कहा है कि यह घटना डेढ़ साल पहले काली पूजा के समय लगभग आधी रात को हुई थी और वे अपने घर में सो रहे थे। हल्ला सुनकर वे घटना स्थल पर गए और देखा कि सत्य चरण बास्की खून से सनी कुल्हाड़ी लिए वहां खड़े हैं। उसे पकड़ लिया गया। इन दोनों गवाहों ने कहा है कि जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है, तो उसने कहा कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इन दोनों गवाहों ने कटघरे में खड़े अभियुक्त की पहचान कर ली है।

अपनी जिरह में, श्रीमती हेम्ब्रम (**अभियोजन साक्षी**. 5) ने कहा है कि वह पति-पत्नी के बीच लड़ाई का वास्तविक कारण नहीं जानती थी।

अभियोजन साक्षी 6 ने कहा है कि उसका घर सूचक के घर से 10 कदम की दूरी पर था।

अभियोजन साक्षी -7 उमेश हेम्ब्रम, **अभियोजन साक्षी -8 लगन हेम्ब्रम** और **अभियोजन साक्षी -9 शीबा हेम्ब्रम** सभी ने लगभग एक ही लाइन पर कहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना 13/14 नवम्बर, 2012 की मध्यरात्रि में घटी। हंगामे पर वे जनेश्वर हेम्ब्रम के घर गए। उन्होंने देखा कि

उन्होंने सत्यचरण बास्की को रोक दिया था और भीड़ जमा हो गई थी।

अभियोजन साक्षी -7 उमेश हेम्ब्रम और **अभियोजन साक्षी -8 लगन हेम्ब्रम**, दोनों ने कहा है कि उन्होंने मृतक का शव देखा था। उसके सिर में चोट आई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि जब उन्होंने अभियुक्त से पूछा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है, तो अभियुक्त ने उसे बताया कि उसे संदेह है कि उसकी पत्नी के विवाहेतर संबंध हैं, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। इन गवाहों ने कटघरे में खड़े अभियुक्त की पहचान कर ली है।

अभियोजन साक्षी -7 उमेश हेम्ब्रम ने अपनी जिरह में कहा है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

अभियोजन साक्षी -10 दिलीप कोल ने बताया है कि करीब ढाई साल पहले वह नुनू लाल हेम्ब्रम के घर गए और मृतक का शव देखा। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि अभियुक्त को पकड़ लिया गया और वहां रोक दिया गया।

अभियोजन साक्षी -11 बिनोद कुमार मामले के अनुसंधानकर्ता हैं। उन्होंने कहा है कि दिनांक 14.11.2012 को उन्हें निरसा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। सूचना मिलने पर उन्होंने घटना स्थल पर जाकर जनेश्वर हेम्ब्रम की फर्दबयान दर्ज कीं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पंचनामा भी तैयार की है, और इसे साबित किया है जो प्रदर्श 6 है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने शव को पोस्टमार्टम(अंत्यपरीक्षण)के लिए भेज दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सूचक जनेश्वर हेम्ब्रम ने कुल्हाड़ी पेश की जिसका इस्तेमाल मृतक की हत्या के लिए किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब्ती सूची तैयार की है जो

प्रदर्श4 के रूप में चिह्नित है। इसके अलावा उन्होंने घटना के स्थान को भी साबित किया है जो सूचक के घर में एक कमरा होता है। उन्होंने इसकी परिधि के साथ घटना स्थल का विवरण दिया है। उसने आगे गवाही दी है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया था।

अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने कुल्हाड़ी को अंगुली निशान विशेषज्ञ को नहीं भेजा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किसने किया था।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य आधार लिया है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इस तरह, दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने से पहले श्रृंखला को पूरा करना है।

18. कानून की स्थापित स्थिति के साथ कोई झगड़ा नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में श्रृंखला पूरी होनी है, केवल तभी संबंधित अभियुक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि होगी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **के हनुमंत पिता गोविंद नरगुंडलर बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1952 एससी 343** जिसमें यह माना गया है कि *"यह याद रखना अच्छी तरह से है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के हैं, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। फिर, परिस्थितियां एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे*

इस तरह की होनी चाहिए

हर परिकल्पना को बाहर करने के लिए लेकिन एक *प्रस्तावित को* साबित *होना चाहिए*। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी *चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह दिखाया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।*"

19. बख्शीश सिंह बनाम पंजाब राज्य (1971) 3 एससीसी 182 **में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया** है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में सिद्धांत अच्छी तरह से तय है कि सामने रखी गई परिस्थितियों को संतोषजनक रूप से साबित किया जाना चाहिए और वे परिस्थितियां केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। ये परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन एक *प्रस्तावित को* साबित *होना चाहिए*। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह दिखाया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में इस तरह के प्रस्ताव को निर्धारित करते समय उसमें घूमने वाले तथ्यात्मक पहलू पर विचार

किया है और इस तथ्य पर विचार करते समय अपीलकर्ता के खिलाफ केवल दोषी ठहराने वाले साक्ष्य को पाया है, वह उस स्थान की ओर इशारा कर रहा था जहां मृतक के शव को

फेंक दिया गया था जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं माना है, हालांकि निस्संदेह यह अपीलकर्ता के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा है कि भले ही वह हत्या का पक्षकार नहीं था, अपीलकर्ता को उस स्थान का पता चल सकता था जहां मृतक के शव को फेंका गया था। इसलिए जिसने भी उन हिस्सों को देखा होगा, वह अनुमान लगा सकता था कि शव को उस स्थान के पास नदी में फेंक दिया गया होगा। उस बहाने से, कानून को उसके पैराग्राफ -9 में निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

> "9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में कहा गया है। उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, सामने रखी गई परिस्थितियों को संतोषजनक रूप से साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों को केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। फिर से उन परिस्थितियों को एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति का होना चाहिए और उन्हें हर परिकल्पना को बाहर करने के लिए होना चाहिए, लेकिन एक *प्रस्तावित को* साबित *होना चाहिए*। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला पूरी होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और

यह ऐसा होना चाहिए जो यह दर्शाता हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

21. इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णयों के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले किसी मामले को पूरा करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(१) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

(२) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(३) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(४) उन्हें साबित होने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(५) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***शरद बिरधीचंद सारदा बनाम और अन्य के मामले में उक्त सिद्धांत को फिर से दोहराया है। (घ) माननीय***

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 में उपर्युक्त सभी पांच सिद्धांतों को स्वर्णिम सिद्धांत माना है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के साक्ष्य की पंचशील का गठन करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में पैराग्राफ - 155, 156, 157, 158 और 159 के तहत यह निर्णय दिया है कि यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो ही न्यायालय एक लिंक (कड़ी)अतिरिक्त के रूप में गलत स्पष्टीकरण या झूठे बचाव का उपयोग कर सकता है अदालत को आश्वासन देने के लिए अन्यथा नहीं। उक्त निर्णय के पैराग्राफ - 155, 156, 157, 158 और 159 निम्नानुसार पढ़ें:

> "155. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक आपराधिक मामले में सबूत के तरीके के संबंध में, एक कॉर्पस डेलिक्टी की अनुपस्थिति में, उसी के प्रमाण के रूप में कानून का बयान ग्रेसन, जे द्वारा निर्धारित किया गया था । (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमत) में राजा बनाम होरी [1952 NZLR 111] इस प्रकार:
>
> > "इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मौत के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध के घटित होने को नैतिक रूप से निश्चित रूप से प्रस्तुत करते हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ते हैं: परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने ठोस और सम्मोहक होने चाहिए कि एक जूरी को समझाने के लिए कि हत्या के अलावा कोई तर्कसंगत परिकल्पना नहीं हो सकती है।

156.लॉर्ड गोडार्ड ने "नैतिक रूप से निश्चित" अभिव्यक्ति को "ऐसी परिस्थितियों के रूप में अपराध के घटित होने को निश्चित रूप से प्रस्तुत

करने" से थोड़ा संशोधित किया।

157.यह आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत को इंगित करता है कि एक मामले को केवल तभी साबित किया जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट सबूत हों और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दृढ़ विश्वास पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। होरी केस [1952 NZLR 111] को इस न्यायालय द्वारा अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में अनुमोदित किया गया था। [एआईआर 1960 एससी 500] लागू मामले [एआईआर 1960 एससी 500] के साथ-साथ हनुमंत मामले [(1952) 2 एससीसी 71] में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का बिना किसी अपवाद के इस न्यायालय के बाद के सभी निर्णयों में समान रूप से और लगातार पालन किया गया है। कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए - तुफैल मामला [(1969) 3 एससीसी 198], रामगोपाल मामला [(1972) 4 एससीसी 625], चंद्रकांत न्यालचंद सेठ बनाम बॉम्बे राज्य [आपराधिक अपील संख्या 120/1957,], धर्मबीर सिंह व पंजाब राज्य [1958 की आपराधिक अपील संख्या 98,]। ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां हनुमंत मामले [(1952) 2 एससीसी] पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को समझाया और दोहराया गया है, जैसे नसीम अहमद बनाम दिल्ली प्रशासन [(1974) 3 एससीसी 668, 670], मोहन लाल पंगासा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 4 एससीसी 607,], शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1981) 2 एससीसी 35, 39] और एम.जी. महाराष्ट्र राज्य [एआईआर 1963 एससी 200: (1963) 2 एससीआर 405,] - पांच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

158. देवनंदन मिश्रा बनाम मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही

सशक्त तर्क पर ध्यान देना यहां आवश्यक हो सकता है। बिहार राज्य [एआईआर 1955 एससी 801] अपने तर्क के पूरक के लिए कि यदि बचाव मामला झूठा है तो यह अभियोजन मामले को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त लिंक का गठन करेगा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रति उचित सम्मान के साथ हम पूर्वोक्त मामले के उनके द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत होने में असमर्थ हैं, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार निकाला जा सकता है:

> "लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर बताए गए विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अपीलकर्ता को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं, उचित निश्चितता के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतक के निकटता में।

ऐसे स्पष्टीकरण की कमी या गलत स्पष्टीकरण एक अतिरिक्त कड़ी बन जायेगा जो श्रृंखला को पूरा करता है

> 159. अदालत ने पहले कहा था कि इससे पहले कि एक गलत स्पष्टीकरण को अतिरिक्त लिंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (1) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से साबित हुए हैं, (2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और (3) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट है।

23. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि श्रृंखला को पूरा किया जाना है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लक्ष्मण प्रसाद** उर्फ़ **लक्ष्मण बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले** में आपराधिक अपील संख्या 821/2012 दिनांक 14.06.2023 में पैराग्राफ -3 और 4 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"3. हम उच्च न्यायालय के इस तरह के निष्कर्ष को कानून के अनुसार सख्ती से नहीं पाते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला को सभी मामलों में पूरा होना चाहिए ताकि अभियुक्त के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। उपरोक्त बिंदु पर कानून अच्छी तरह से तय है। निम्नलिखित मामलों का संदर्भ लिया जा सकता है: (i) शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116; (ii) शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य आदि, एआईआर 2020 एससी 180

4. इस प्रकार, यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि लिंक में से एक गायब है और बिंदु पर स्थापित कानून के मद्देनजर साबित नहीं हुआ है, तो दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था।

25. यह भी सही है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, हत्या के अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी या पदार्थ के हथियारों की बरामदगी आरोपी व्यक्ति के अपराध को साबित करने से पहले असर डालती है। इसी तरह, अंगुली छाप को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने की प्रासंगिकता

भी परिस्थिति जन साक्ष्य के मामले में अभियुक्त द्वारा अपराध के घटित होने के सन्दर्भ में तर्क शील निष्कर्ष तक पहुचने में साक्ष्य है उसे तभी लिया जा सकता है जब कानून की उचित स्थिति में श्रृंखला पूरी हो गयी हो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के संबंध में तार्किक अंत तक पहुंचने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विज्ञान प्रयोगशाला भी होती है, जिसे केवल तभी एकत्र किया जा सकता है जब कानून की स्थापित

स्थिति के अनुसार श्रृंखला पूरी हो जाती है।

26. कानून समान रूप से तय है कि चश्मदीद गवाह के मामले में, अपराध करने में इस्तेमाल किए गए फिंगर प्रिंट या हथियार/गोला-बारूद/पदार्थ को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को नहीं भेजने से अभियोजन पक्ष का बयान खराब नहीं होगा, बल्कि गवाह की गवाही प्रबल होगी।

27. अंगुलिछाप या अपराध करने में इस्तेमाल किए गए हथियार को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को नहीं भेजना अनुसंधान में चूक हो सकती है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष दर्शी साक्ष्य के ठोस सबूतों पर आधारित है तो यह पूरी अभियोजन कहानी को दूषित करने का आधार नहीं हो सकता है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धनज सिंह बनाम ***पंजाब राज्य*** **(2004) 3 एससीसी 654** ***और अन्य के मामले में*** स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि दोषपूर्ण अनुसंधान के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में चौकस रहना होगा। लेकिन किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष के आधार पर बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना अनुसंधान अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा। इसके अलावा यह देखा गया है कि जब चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई चश्मदीद गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के कथन को स्थापित करती है, तो अनुसंधानकर्ता की ओर से विफलता या चूक या लापरवाही अभियोजन पक्ष के कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है। तैयार संदर्भ के लिए प्रासंगिक पैराग्राफ

उपरोक्त निर्णय के यहां नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

> **"5.** दोषपूर्ण अनुसंधान के मामले में, अदालत को सबूतों के मूल्यांकन में चौकस रहना होगा। लेकिन किसी आरोपी व्यक्ति को केवल दोष के आधार पर बरी करना सही नहीं

होगा; ऐसा करना अनुसंधान अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि अनुसंधान अभिकल्पित रूप से दोषपूर्ण है। (देखें *करनेल सिंह* बनाम. *मध्य प्रदेश राज्य* [(1995) 5 एससीसी 518)।

6. *पारस यादव* बनाम *बिहार राज्य* [(1999) 2 एससीसी 126] में यह माना गया था कि यदि अनुसंधान एजेंसी द्वारा चूक या लोप की जाती है या लापरवाही के कारण अभियोजन साक्ष्य की जांच की जानी अपेक्षित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, तो अधिकारियों का दूषित आचरण न्यायालयों द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए; अन्यथा अभिकल्पित शरारत को बनाए रखा जाएगा और शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय से मना कर दिया जाएगा।

(7) जैसा कि राम बिहारी यादव *बनाम बिहार राज्य* [(1998) 4 एससीसी 517] में देखा गया था यदि ऐसी अभिकल्पित या लापरवाही से की गई,और लोप या चूक लापरवाही से किया गया अनुसंधान द्वारा लोप या चूक या लोप तो लोगों का विश्वास और आत्मविश्वास न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी में बल्कि न्याय प्रशासन में भी हिल जाएगा। अमर सिंह बनाम के मामले में इस विचार को फिर से दोहराया गया । *बलविंदर सिंह* [(2003) 2 एससीसी 518: 2003 एससीसी (सीआरआई) 641]। जैसा कि अमर सिंह मामले *[(2003) 2 एससीसी 518 :]* में उल्लेख किया गया है, यह निश्चित रूप से बेहतर होता अगर आग्नेयास्त्रों को तुलना के लिए फोरेंसिक टेस्ट प्रयोगशाला में भेजा जाता। लेकिन बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट बिना किसी निष्कर्ष के एक विशेषज्ञ की राय की प्रकृति की होगी। जब चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए गए चश्मदीद गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के कथन को स्थापित करती है , तो अनुसंधान कर्ता द्वारा की गयी विफलता या चूक या लापरवाही अभियोजन पक्ष को स्थापित करती है

अभियोजन पक्ष के कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकता है।

(8 अपीलकर्ताओं का रुख अनिवार्य रूप से साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। यहां तक कि अगर अनुसंधान दोषपूर्ण है, तो ऊपर निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को देखते हुए, यह महत्वहीन हो जाता है जब नेत्र संबंधी गवाही विश्वसनीय और ठोस पाई जाती है। दोषपूर्ण अनुसंधान की पृष्ठभूमि में हमले के हथियारों या पैलेट आदि की जांच न करने के आगे के प्रभाव पर अमर *सिंह मामले* [(2003) 2 एससीसी 518] में विचार किया गया है। इस मामले में, महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य में कोई दरार नहीं देखी जा सकती है।

29. इसी प्रकार पंजाब बनाम हाकम सिंह***, (2005) 7 एससीसी 408*** **के मामले में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> **"13.** उत्तरदाता के विद्वान वकील द्वारा यह भी बताया गया कि कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं किया गया था और खाली हुए की कोई जब्ती नहीं की गई थी। बेहतर होता कि ऐसा किया जाता और इससे अभियोजन की कहानी की पुष्टि होती। आग्नेयास्त्रों की जब्ती और खाली हुए को बरामद करना और उन्हें बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए भेजना केवल अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करता, लेकिन वर्तमान मामले में उन्हें बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास नहीं भेजना पूरी घटना के बारे में अभियोजन साक्षी 3 की स्पष्ट गवाही को देखते हुए घातक नहीं है।

30. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जब कथित घटना हुई थी, उस समय अपीलकर्ता/अभियुक्त मृतक के साथ कमरे के अंदर था, इसलिए उस पर यह बताने की जिम्मेदारी थी कि उसकी पत्नी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई थी।

31. इस संदर्भ में

साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 105 को यहां संदर्भित करना आवश्यक है। पूर्वोक्त धारा में यह निर्धारित किया गया है कि आरोप साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और केवल उस स्थिति में जब अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम होगा, तभी दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जा सकता है लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपवाद बनाया गया है जिसके द्वारा और जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि आरोपी व्यक्ति पर उल्टा दायित्व होगी जो आरोप लगाया गया है उसका खंडन करने के लिए।

32. इस संदर्भ में, यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 106 के तहत निहित प्रावधान के मद्देनजर अपराध को खंडन करने का दायित्व आरोपी व्यक्तियों पर है, जो निम्नानुसार है:

> "106. विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य साबित करने का बोझ। - जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है"

33. इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोशिंदर यादव बनाम बिहार राज्य (2014) 4 एससीसी 42 में पैराग्राफ** 16, 17, 18 में दिए गए फैसले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान के निहितार्थ पर विचार करते हुए निम्नानुसार आयोजित किया है:

> "16. हमारी राय में, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि अभियुक्तों ने मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और उन्होंने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया, अभियुक्त को उन तथ्यों का खुलासा करना चाहिए

था जो अभियोजन पक्ष को गलत साबित करने के लिए उनके व्यक्तिगत और विशेष ज्ञान में थे

मामला है कि उन्होंने बिंदुला देवी की हत्या कर दी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 ऐसी स्थिति को कवर करती है। जो भार अभियुक्तों पर आ गया था, उसका निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया। इस संबंध में, हम शंभूनाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य [शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, एआईआर 1956 एससी 404: 1956 सीआरआई एलजे 794] में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने बताया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और धारा 106 कैसे संचालित होती है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: (एआईआर पृष्ठ 406, पैरा 10-11)

> "10. धारा 106 धारा 101का एक अपवाद है
>
> . धारा 101 सबूत के बोझ के बारे में सामान्य नियम निर्धारित करता है. 101. प्रमाण का भार- जो कोई यह चाहता है कि कोई न्यायालय तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में, जो वह दावा करता है, निर्णय दे, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वे तथ्य विद्यमान हैं।" उदाहरण (क) कहता है- "ए न्यायालय से यह निर्णय देने की इच्छा रखता है कि बी को उस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा जो क कहता है ख ने किया है। ए को यह साबित करना होगा कि बी ने अपराध किया है।"

यह सामान्य नियम बताता है कि एक आपराधिक मामले में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर है और धारा 106 निश्चित रूप से उस कर्तव्य से मुक्त करने का इरादा

नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा, या किसी भी दर पर असंगत रूप से कठिन होगा, जो "विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।

17.बलराम प्रसाद अग्रवाल बनाम बिहार राज्य [(1997) 9 एससीसी 338] में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त यानी उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों के क्रूर आचरण और मृतक पर उनके हाथों किए गए कष्टों को स्थापित किया था। आरोपी के असहनीय आचरण के परिणामस्वरूप अंततः उसकी आरोपी के घर के आंगन में स्थित कुआं में डूबने से मौत हो गई

इस अदालत ने कहा कि उस रात क्या हुआ और मृतक के कुएं में गिरने का कारण पूरी तरह से अभियुक्त के व्यक्तिगत और विशेष ज्ञान के भीतर था। लेकिन वे इस पहलू पर चुप रहे। इस न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष ने यह दिखाया कि अभियुक्त मृतक के साथ क्रूरता के लगातार आचरण के दोषी थे, जैसा कि मृतक के पिता की अडिग गवाही से अच्छी तरह से स्थापित किया गया था, तो उन तथ्यों को जो अभियुक्तों के व्यक्तिगत ज्ञान में थे, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को घर में मौजूद थे, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए उनके द्वारा प्रकट किए जा सकते थे। इस अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने उस बोझ का निर्वहन नहीं किया था जो साक्ष्य

अधिनियम की धारा 106 के तहत उन पर स्थानांतरित हो गया था। इस निष्कर्ष पर आते समय, इस न्यायालय ने शंभूनाथ मेहरा [शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, एआईआर 1956 एससी 404] पर भरोसा किया ।

17.वर्तमान मामले में,यह स्वीकृत है कि मृतक आरोपी की हिरासत में था। वह उनके घर से गायब हो गया। नदी में उसका शव कैसे मिला, यह उनके विशेष और व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर था। वे अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए तथ्यों का खुलासा कर सकते थे कि उन्होंने बिंदुला देवी की हत्या की थी। वे उस बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन पर स्थानांतरित हो गया था। अभियोजन पक्ष से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह मृतक की हत्या का सटीक तरीका बताएगा। आरोपियों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की जरूरत है क्योंकि वे यह बताने में विफल रहे कि मृतक नदी में एक फुट गहरे पानी में मृत कैसे पाया गया।

34. इसके अलावा, इस संबंध में तुलसीराम सहदू सूर्यवंशी **और**अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2012) 10 एससीसी 373 **में पैराग्राफ** 22 में निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया है

"22. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों से यह भी पता चलता है कि प्रासंगिक समय पर, मृतक तीनों अभयुक्तों के साथ रह रहा था। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता, उनका बेटा ए-3 और मृतक घर के एकमात्र रहने वाले थे और इसलिए, अपीलकर्ताओं पर यह निर्भर था कि वे अपने अपराध के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए कुछ स्पष्टीकरण दें।

ऊपर उल्लिखित सभी कारक निस्संदेह परिस्थितियां हैं जो एक प्रत्यक्षदर्शी के कथन से भी मजबूत श्रृंखला का गठन करती हैं और इसलिए, हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं की सजा पूरी तरह से उचित है।

35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से धारा 105 के प्रावधान के अनुसार कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है, जिसमें संदेह की सभी छाया से परे आरोप साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपराध किये जाने को अस्वीकार करने के लिए अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित हो जाएगी।

36. यह न्यायालय अब यह जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है या यह चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित है।

37. हमने अभियोजन साक्षी -1 की गवाही पर विचार किया है जिसमें यह कहा गया है कि अभियोजन साक्षी -1 उस कमरे के अलावा अलग कमरे में था जहां बेटी और दामाद, अपीलकर्ता थे। आगे यह भी कहा गया है कि भोजन करने के बाद सभी सो रहे थे और उसी समय पोता यह कहकर रोने लगा कि मां की हत्या कर दी गई है। उसने आगे गवाही दी है कि उसका दामाद, अपीलकर्ता, टांगी (कुल्हाड़ी) लेकर भाग रहा था, लेकिन उसे उसने अपने बेटे और बहू की मदद से पकड़ लिया था

38. अभियोजन साक्षी -2 ने भी इसी तरह से गवाही दी है। उन्होंने गवाही दी है कि लगभग एक साल पहले काली पूजा के दिन लगभग 12.00 बजे मध्यरात्रि वह अपने घर में सो रहे थे जब उन्होंने पोते और बेटी के रोने की आवाज सुना, जो अभियुक्त के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पार्वती बास्की को जमीन पर पड़ा पाया और उसके सिर पर

चोट के निशान थे और अभियुक्त सत्य चरण बास्की खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे गवाही दी है कि उसने अभियुक्त को अपनी पत्नी, बेटे और बहू की मदद से पकड़ा। उन्होंने आगे कहा है कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।

39. अभियोजन साक्षी-3 जनेश्वर हेम्ब्रम सूचक है। उन्होंने गवाही दी है कि यह घटना वर्ष 2012 के 13 वें दिन काली पूजा के समय हुई थी। वह अपने घर में मौजूद था। अभियुक्त ने अपनी बहन पार्वती बास्की पर कुल्हाड़ी से हमला किया। मृतक के शोर मचाने पर वह उनके कमरे में गया और देखा कि अभियुक्त खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा था और मृतक जमीन पर घायल पड़ा पड़ा था। हालांकि, अभियुक्त को अभियोजन साक्षी -1 और अभियोजन साक्षी -2 की मदद से पकड़ा गया और उससे कुल्हाड़ी छीन ली गई। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।

40. इस प्रकार, अभियोजन साक्षी -1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 की एक साथ गवाही से यह स्पष्ट है कि इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला नहीं कहा जा सकता है, बल्कि, यह कहा जाता है कि

उन गवाहों की गवाही पर आधारित है जिन्होंने अपीलकर्ता को कुल्हाड़ी के साथ कमरे से भागते हुए देखा था, जिस पर खून के निशान थे।

41. इसके अलावा, इस कारण से, जैसा कि अभियोजन साक्षी -1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 और अन्य गवाहों द्वारा गवाही दी गई है, कि उपरोक्त कमरे में मृतक के साथ अपीलकर्ता अपने बेटे के साथ था, इस तरह, अपीलकर्ता पर यह साबित करने की उल्टा दायित्व है कि हत्या कैसे हुई है। जिरह में यह सवाल पूछने के माध्यम से कहीं भी नहीं आया है कि अपीलकर्ता कमरे के अंदर नहीं था, बल्कि, यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि अपीलकर्ता कमरे के अंदर था।

42. इसके अलावा, अभियोजन साक्षी -3 द्वारा हत्या करने का आधार भी कोई तथ्य नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष इस मुद्दे को साबित करने या उठाने में विफल रहा है कि मृतक और अपीलकर्ता के साथ, अभियोजन साक्षी -3 भी कमरे के अंदर था, बल्कि, यह गवाही में आया है कि कमरे के अंदर केवल अपीलकर्ता मृतक और उसके बेटे के साथ था।

43. इसलिए, यदि इस आशय का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि, केवल सुझाव है कि केवल अभियोजन साक्षी -3 की रक्षा के लिए, उसने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया है, तथ्यात्मक पहलू के आधार पर प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है इस कारण कि यदि अपीलकर्ता का मामला बचाव के माध्यम से होता कि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के साथ अभियोजन साक्षी -3 भी कमरे के अंदर था लेकिन मामले का तथ्य यह नहीं है जैसा कि गवाहों की गवाही में उनके मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा (जिरह)में स्पष्ट होगा

44. इस न्यायालय ने कहानी के आधार पर तथ्यात्मक पहलू पर भी विचार किया है जैसा कि धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान के माध्यम से बचाव पक्ष द्वारा रखा गया है, लेकिन ऐसा कोई बचाव नहीं किया गया है, बल्कि, जो भी प्रश्न पूछा गया है, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। बचाव पक्ष का कोई बयान भी नहीं है कि उसकी पत्नी की हत्या उसके साले (पत्नी के भाई) ने की थी या वह कमरे के अंदर नहीं था।

45. इस प्रकार, भले ही धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बचाव में बयान दर्ज करने का अवसर था, जो एक अभियुक्त व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इस आशय का कोई सवाल नहीं है और अब सभी दलीलें ली गई हैं, अर्थात, कुल्हाड़ी को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में इसकी वैज्ञानिक जांच के लिए नहीं भेजा गया है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है, इस स्तर पर उचित नहीं कहा जा सकता है जब अपीलकर्ता द्वारा ऐसा बचाव नहीं किया गया है।

46. जहां तक प्रकाश की अनुपलब्धता के मुद्दे को एक आधार के रूप में लिया गया है, जो इस कारण से स्वीकार करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता घुसपैठिया था, बल्कि, वह वैवाहिक घर (ससुराल) में ही रहने वाला अपना दामाद होता है।

47. जहां तक मकसद के मुद्दे का सवाल है, अभियोजन साक्षी -1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 की गवाही से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता मृतक के साथ झगड़ा करता था और साथ ही शराब लेता था जिसका मृतक द्वारा विरोध किया जा रहा था और इसलिए,

अपीलकर्ता की ओर से यह गलत है कि इस मामले में मकसद अनुपस्थित है।

48. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि गवाहों के ठोस सबूत हैं और इस तरह, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को कुल्हाड़ी नहीं भेजना अभियोजन पक्ष के कथन को दूषित नहीं करेगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला अभियोजन साक्षी -1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 की गवाही पर आधारित है, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है।

49. यह न्यायालय, पूर्वोक्त तथ्य पर विचार करने के बाद, इस विचार का है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि माना जाता है कि मृत्यु उस कमरे में हुई है जहां अपीलकर्ता मृतक के साथ मौजूद था और उपरोक्त तथ्य को अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी -2 और अभियोजन साक्षी -3 नामक गवाहों द्वारा समर्थन दिया गया है,

50. पूर्वगामी कारणों से, हम सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा सत्र विचारण संख्या 96/2013 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 25.07.2015 में कोई अवैधता नहीं पाते हैं, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई है, जिसकी हम पुष्टि करते हैं।

51. हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

52. परिणामस्वरुप , आईए संख्या 7128/2022 भी खारिज किया जाता है।

53. निचली अदालत के दस्तावेज को इस फैसले की एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को तुरंत वापस भेजा जाए।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे।)

मैं सहमत हूँ।

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, J.) **(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, J.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकित, 21 फरवरी, 2024। बीरेंद्र
/ए.एफ.आर.

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]

54.